रजिस्टर्ड नं० ल०-33/एस० एम० 14/92.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार, 24 अगस्त, 1992/2 भाद्रपद, 1914

हिमाचल प्रदेश सरकार

पंचायती राज विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 12 अगस्त, 1992

संख्या पी० सी० एच०-एच० ए० (4) 38/76.—माननीय उच्च न्यायालय, हिमाचल प्रदेश के याचिका संख्या 745/91 "जगदीश चन्द ठाकुर व अन्य, बनाम राज्य सरकार" में आदेश तिथि 8 अप्रैल, 1992 की अनुपालना करते हुए तथा इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 19 दिसम्बर, 1991, जो न्यायालय के तिथि 8-4-1992 के आदेशों से पूर्व जारी की गई थी, को रद्द करते हुए, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, उन शक्तियों के अधीन, जो उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 (वर्ष 1970 का 19वां

2158-राजपत्र/92-24-8-92—1,207. मूल्य : 1 रुपया।

अधिनियम) की धारा 4 तथा 5 के अन्तर्गत प्राप्त हैं, जिला मण्डी के निम्नलिखित ग्राम सभा क्षेत्रों का पुनः विभाजन/पुनर्गठन निम्न प्रकार से करते हुए ग्राम सभा क्षेत्रों की स्थापना के सहर्ष आदेश करते हैं:—

क्र0 सं0	विकास खण्ड तथा वर्तमान ग्राम सभा का नाम	कोष्ठ संख्या 2 में वर्णित ग्राम सभा के गांव के नाम	कोष्ठ संख्या 2 में वर्णित ग्राम सभा से अपवर्जित होने वाले ग्रामों के नाम	अपवर्जित ग्रामों से बनी ग्राम सभा का नाम तथा उसका मुख्यवास	कोष्ठ संख्या 5 में बनी हुई ग्राम सभा में सम्मिलित होने वाले ग्रामों के नाम	विवरण
1	2	3	4	5	6	7
	विकास खण्ड: मण्डी सदर					
1.	नवलाय	1. कुथाची 2. पारनु 3. नवलाय 4. खहाणी 5. काहरा 6. बुगा 7. सिकरधार 8. निशु 9. नगण 10. बनौल	1. बनौल	—	—	1. कोष्ठ नं0 4 में वर्णित ग्राम "बनौल को ग्राम सभा नवलाय से अपवर्जित करके ग्राम सभा ध्राहण में सम्मिलित किया जाता है । 2. कोष्ठ नं0 4 में वर्णित ग्राम को छोड़ कर कोष्ठ न0 3 में वर्णित शेष गांव ग्राम सभा नवलाय में ही रहेंगे ।
2.	ध्राहण	1. डूहकी 2. विहन धार 3. धार 4. भेई 5. ध्राहण 6. निपूल 7. मैहण 8. डी0 पी0 एफ0 मैहण । 9. डी0 पी0 एफ0 खलवाड़ा ।				ग्राम "बनौल" को ग्राम सभा नवलाय से अपवर्जित करके ग्राम सभा ध्राहण में सम्मिलित किया जाता है ।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/-
सचिव ।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।